उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-12/2022/269/92-2-2022-53एम/2020
लखनऊ :: दिनांक:: 31 मई 2022

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, जनपद-सम्भल में सहायक अभियंता के पद पर तैनाती के दौरान त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत विधानसभा क्षेत्र, चन्दौसी में "दुधापुर से खेतापुर होते हुए चुहर खेडा सिद्धमणि आश्रम पृथ्वीपाल चौहान की गददी" तक लेपन के निर्माण कार्यो की टी0ए0सी0 जॉच दिनांक 02.09.2020 में जी-3 लेयर में प्रयुक्त एग्रीगेट दो में से एक स्थान पर 14 प्रतिशत एवं जी-2 लेयर में प्रयुक्त एग्रीगेट दो में से एक स्थान पर 09 प्रतिशत अण्डरसाइज पाये जाने तथा कुछ स्थानों पर नाली के ऊपर प्लास्टर व पी0सी0सी0 1:2:4 शक्ति में कमजोर पाये जाने, प्रखण्ड सम्भल की सामान्य प्राविधिक परीक्षण के दौरान कार्य में प्रीमिक्स कारपेट के कार्य को कुशलता पूर्वक न करने व जी-3 लेयर में काम्पैक्शन में पायी गयी कमियों में परिलक्षित कुल शासकीय क्षति रू0 66,682.00 में से रू0 11,141.00 के लिये श्री हबीबुल्लाह, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-सम्भल को प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-146/92-2-22-53एम/2020 दिनांक 03.03.2022 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-10(2) के अंतर्गत स्पष्टीकरण निर्गत करते हुये श्री हबीबुल्लाह, तत्कालीन सहायक अभियंता को लिखितउत्तर/अभिकथन 15 दिवस में शासन को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये, जो उनके पत्र दिनांक 21.04.2022 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया।

2- अपचारी अधिकारी, श्री हबीबुल्लाह के विरूद्ध निर्गत स्पष्टीकरण के क्रम में प्राप्त उनका बचाव उत्तर दिनांक 21.04.2022 एवं शासनादेश दिनांक 14.07.2009 में विहित प्राविधानों के सम्यक परीक्षणोपरान्त पाया गया कि प्रश्नगत प्रकरण में टी0ए0सी0 द्वारा की गयी जॉच में कुल परिलक्षित शासकीय क्षति रू0 66,682.00 जो कुल परियोजना लागत का 0.58 प्रतिशत है, जिसे कार्य से संबंधित ठेकेदार के रोके गये अन्तिम भुगतान संबंधी बिल से कटौती करते हुये राजकोष में दिनांक 03.04.2022 को चालान के माध्यम से जमा कराया जा चुका है, के दृष्टिगत श्री हबीबुल्लाह, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-सम्भल के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-146/92-2-22-53एम/2020 दिनांक 03.03.2022 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-10(2) के अंतर्गत निर्गत कारण बताओ नोटिस/स्पष्टीकरण में उनको निर्माण कार्य के दौरान भौतिक निरीक्षण में बरती गयी शिथिलता के लिये "सचेत" करते हुये कारण बताओ नोटिस/ स्पष्टीकरण को एतदद्वारा समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-12/2022/269(1)/92-2-2022 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।

2- श्री हबीबुल्लाह, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-सम्भल सम्प्रति अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बागपत द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अभि0विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रमाकान्त शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।